भवन निर्माण अनुमति के मामलों में अनदेखी करने वाले जिम्मेदारों की निगम आयुक्त ने ली क्लास

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किये जाने हेतु निगम आयुक्त ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

निगम आयुक्त द्वारा नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किये जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अत्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लंघन पाये जाने पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किये जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किये जाने के साथ ब्लेक लिस्टेड भी किया जायेगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण पेश नहीं होगा उन्हें प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरेशी के अलावा उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री. दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे। २१७

सीएम हेल्पलाइन की 332 शिकायतें 300 दिन से ज्यादा पुरानी

रतलाम। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 300 दिन से ज्यादा अवधि की लंबित शिकायतों की समीक्षा के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विशेष बैठक आयोजित की गई। सोमवार शाम आयोजित बैठक में बताया गया कि जिले में 332 शिकायतें हैं जो 300 दिन से भी ज्यादा अवधि से लंबित हैं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े उपस्थित रहीं। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लंबित 332 में से 50 ऐसी शिकायतें हैं जो शीघ्र ही संतुष्टिपूर्वक फोर्स क्लोज की जा सकती हैं। शनिवार तक उक्त शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक फोर्स क्लोज कर दिया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन शिकायतों के निराकरण में कलेक्टर की ओर से पत्र लिखा जाना है तो पत्र लिखाकर शासन को प्रेषित किया जाए। जिला श्रम विभाग के पास संबल योजना के लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए कलेक्टर द्वारा तीन दिन में पुनः समीक्षा की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को निर्देशित किया कि कलेक्टर कार्यालय संबंधी शिकायतों की फाइल प्रस्तुत करें। उनके निराकरण में देरी करने वाले जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के 80 अधिकारी-कर्मचारी को मिले वायरलैस वाकी टाकी, कहीं से भी कर सकेंगे बात

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम के कामकाज में अब अधिकारी, कर्मचारियों को आपसी संपर्क के लिए मोबाइल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अमला फील्ड से सीधे वाकी-टाकी से दिशा-निर्देश लेकर काम कर सकेगा। निगम द्वारा एस टेली कंपनी से 80 वायरलैस वाकी-टाकी खरीदे हैं।

कक्ष में वाकी-टाकी से बात करते हुए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया।

मंगलवार शाम वाकी टाकी चलाने का प्रशिक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम के अधिकारी, कर्मचारियों को दिया गया। आयुक्त ने बताया कि वाकी-टाकी से अधिकारी, कर्मचारियों से एक ही समय में एक साथ बात की जा सकती है। वायरलैस वाकी-टाकी पूरे भारत में संचालित हो सकेगा व कहीं से भी बात हो सकेगी। इससे निगम के कार्यों को ओर अधिक गति मिलेगी। मालूम हो कि करीब दो साल से वाकी-टाकी खरीदने की प्रक्रिया चल रही थी।

दिन के तापमान में गिरावट व रात में वृद्धि

रतलाम। जिले में हर दिन मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। कभी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी वृद्धि। सुबह-शाम सर्द मौसम से आमजन ठिठुर रहे हैं। जगह-जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। शहर सहित अंचल में मंगलवार को दिनभर धूप-छांव का खेल चलता रहा। शाम को सर्द हवाएं बहने आमजन

सुधरेगी यातायात व्यवस्था: शहर में एक दर्जन स्थान पर लगेंगे नए सिग्नल

सुधरेगी व्यवस्था

चालू होंगे सिग्नल

पत्रिका अभियान के बाद नगर निगम का निर्णय

जावरा फाटक पर सिग्नल के लिए स्थल चयन करते अधिकारी।

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के एक दर्जन स्थान पर नगर निगम यातायात के बेहतर संचालन के लिए नए सिग्नल लगाएगा। इसके लिए इसी माह टेंडर जारी किए जाएंगे। नए वर्ष में काम की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा शहर में प्रवेश के सभी मार्ग पर पीपीपी मोड पर भी सिग्नल लगाए जाएंगे। यह सब निर्णय नगर निगम ने पत्रिका द्वारा शहर में खराब व बंद पड़े यातायात के सिग्नल के लिए चलाए अभियान के बाद लिया है।

मंगलवार को शहर में बंद पड़े यातायात विभाग के सिग्नल को देखने के लिए इंदौर से तकनीकी दल को नगर निगम ने बुलवाया। दल के सदस्यों ने शहर के दो बत्ती क्षेत्र में बंद पड़े सिग्नल के अध्ययन के बाद आयुक्त सोमनाथ झारिया को बताया है कि इनको ठीक करवाने में जितना व्यय होगा, उससे कम लागत में नए सिग्नल आकर लग जाएंगे। इसके बाद निगम ने निर्णय लिया है कि पूर्व के खराब बड़े सिग्नल को बेहतर करने के बजाए नए ही लगाए जाए।

पत्रिका इंपैक्ट

यहां लगेंगे नए वर्ष में सिग्नल

नगर निगम इसी माह नए सिग्नल के लिए निविदा जारी करेगा। इसकी तैयारियां मंगलवार से शुरू कर दी गई है। स्मार्ट सिटी योजना में लगने वाले इन सिग्नल को लगाने की शुरुआत 2022 में जनवरी - फरवरी माह से होगी। इनको दो बत्ती, सैलाना रोड, कॉलेज रोड, नाहरपुरा, रंगरेज रोड, चौमुखीपुल, फव्वारा चौक, कान्वेंट स्कूल तिराहा, नगर निगम तिराहा, बाजना बस स्टैंड, अलकापुरी तिराहा स्थान पर लगाना तय किया गया है।

नए वर्ष में लगा दिए जाएंगे

शहर में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत करीब एक दर्जन स्थान पर यातायात के बेहतर संचालन के लिए नए सिग्नल लगाया जाना है। इसके लिए निविदा निकालने की तैयारी की जा रही है। नए वर्ष में इनको लगाने की शुरुआत हो जाएगी। शहर में सभी प्रवेश स्थान पर पीपीपी मोड पर भी सिग्नल लगाए जाएंगे। **- सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

खबर का असर

प्रकाशित खबर।

कॉलोनियों की खेती • मांगरोल फंटे पर वेयर हाउस, कॉटेज के नाम पर ऊंची कीमत पर बेचे जा रहे हैं एक-एक बीघा के प्लॉट

अवैध कॉलोनी की सीमेंट-कांक्रीट सड़क को कॉलोनाइजर ने मिट्टी डालकर छिपाया

सात और कॉलोनियों का रिकॉर्ड मंगावाया, प्रशासन जांच कर करेगा कार्रवाई

भास्कर संवाददाता | रतलाम

भूमाफिया पर शिकंजा कसते हुए अवैध कॉलोनियों की जांच ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली है। शिकायतें मिलने के बाद कॉलोनी सेल ने सात और कॉलोनियों की पड़ताल शुरू कर दी हैं। सरकारी दस्तावेज चेक करने के साथ ही रिकॉर्ड मंगवाया है।

जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई होगी। वहीं, मांगरोल फंटे के सामने अवैध कॉलोनी डवलप कर रहे भूमाफिया ने सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए पूरी लगभग 650 मीटर लंबी सीसी की सड़क को मिट्टी डालकर छिपा दिया है। इसकी जानकारी सरकारी अमले को लग गई है। एक-दो दिन में मिट्टी हटाकर सड़क को तोड़ दिया जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सबकी जांच करवा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करेंगे।

सरकारी अमले को मिला अपडेट : एक-दो दिन में मिट्टी हटाकर सड़क को तोड़ दिया जाएगा

50 बीघा में फैली मांगरोल फंटे के सामने वाली अवैध कॉलोनी की जमीन के तीन-चार मालिक है। शहर के कॉलोनाइजरों अफसरों की आंख में धूल झोंकने के लिए वेयर हाउस और कॉटेज के नाम पर एक-एक बीघा के बड़े भूखंडों बेच रहे हैं। वह भी जमीनों की मौजूदा कीमतों से लगभग दोगुना कीमत पर। पंचायत की बिना परमिशन लिए सरपंच और सचिव से सांठगांठ करके कुछ माह पहले कॉलोनाइजर ने 40 फीट चौड़ी सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनाने के साथ अंडर ग्राउंड सीवरेज लाइन भी बिछा दी है। इसका खुलासा कुछ माह पहले पटवारी की जानकारी के बाद हुआ था। उस समय कॉलोनाइजरों ने बिना डायवर्शन किए ही सड़क बना दी थी। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद राजस्व अमले ने नोटिस जारी किया तो कॉलोनाइजरों ने आननफानन में डायवर्शन करा लिया, लेकिन टीएंडसीपी से परमिशन नहीं ली है।

कॉलोनाइजर ने इस तरह हाईटेंशन लाइन के नीचे बना रखी है सीसी की चौड़ी सड़क।

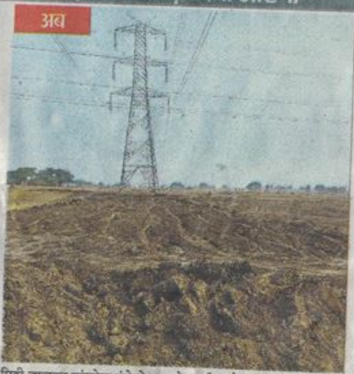

मिट्टी डालकर मांगरोल फंटे के सामने वाली अवैध कॉलोनी की सड़क को इस तरह छिपा दिया गया है।

भास्कर

द्वारका रेजीडेंसी और लावण्या पैलेस होटल पर भी होगा एक्शन

सैलाना रोड राम मंदिर के सामने चार माह से अधूरी पड़ी द्वारका रेजीडेंसी और सालाखेड़ी फोरलेन स्थित लावण्या पैलेस होटल पर एक्शन लेने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, इसलिए प्रशासन आगे नहीं बढ़ रहा। रेजीडेंसी का काम अगस्त से बंद है। बिल्डर ने रेसीडेंसी के सामने वाली 8950 वर्गफीट सरकारी जमीन पर बिना परमिशन सीसी की सड़क बना दी थी। इसे लोहे की जाली से सुरक्षित करने के बाद नगर निगम, राजस्व और टीएंडसीपी परमिशन निरस्त कर चुका है। वहीं, लावण्या पैलेस होटल के मालिकों ने जमीन के नगर निगम सीमा में होने के बावजूद सालाखेड़ी पंचायत से परमिशन लेकर बिल्डिंग तान दी। इस पर होटल संचालकों को नोटिस देने के साथ ही प्रशासन ने पंचायत सचिव पर भी जांच बैठा दी है।

कोविड पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा

तीसरी लहर को लेकर जिले में अलर्ट, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोविड पाजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड भाड को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों, खांसते, छींकते समय नाक व मुख को ढंकने संबंधी अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। कोविड के संभावित

लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः आरटीपीसीआर, आरएटी पद्धति से जांच की जाएगी। पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिले में हाट स्पाट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण किए जाए। पाजीटिव प्रकरणों मे हाई रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए।

जिला शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के करीब पहुंचा, 40 हजार सेकंड डोज लगाना बाकी

रतलाम। रतलाम जिला शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के अत्यंत नजदीक आ चुका है, अब जिले में सेकंड डोज के मात्र 40 हजार व्यक्ति बचे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 16 दिसंबर को महा अभियान आयोजित किया जाएगा। महा अभियान में सेकंड डोज के शेष 40 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर में दोनों डोज शत प्रतिशत लगाए जाकर शहर शत-प्रतिशत वैक्सीनेट किया जा चुका है।

कोविड-19 पाजीटिव प्रकरणों का प्रबंधनः कोरोना वैरिएंट की संभावना एवं तृतीय संभावित लहर के त्वरितं नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षणयुक्त कोविड पाजीटिव प्रकरणों के लक्षण के आधार पर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, काफ्कि आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पाजीटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालययुक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो, को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आंकलन उपरांत होम आइसोलेशन की अनुमतिं दी जा सकती है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा वीडियो कालिंग के माध्यम से की जाए।

२१५

श्वान बधियाकरण हेतु नियमानुसार होगा समिति का गठन

रतलाम। शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण की शुरूआत से पहले नियमानुसार समिति का गठन किये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वंय सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों व निगम अधिकारियों की बैठक ली। आयोजित बैठक में निगम आयुक्त, निगम अधिकारी, स्वंय सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों को डॉ.नवीश नेहरा श्वानों के बधियाकरण की कार्यवाही से बताया कि श्वानों को किस प्रकार से पकड़ा जायेगा, बधियाकरण किस प्रकार से किया जायेगा, बधियाकरण पश्चात उन्हे कितने दिन रखा जायेगा, उन्हे क्या खाना खिलाया जायेगा जैसी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

बैठक में तय किया गया कि श्वानों के बधियाकरण के पूर्व नियमानुसार समिति का गठन किया जिसमें निगम आयुक्त, वेटनरी डॉ, 2 एनिमल एक्टीविस्ट, सोष्यल वर्कर आदि को सम्मिलित किया जायेगा।

रतलाम जिला शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के नजदीक मात्र 40 हजार सेकंड डोज और लगाना है

रतलाम। जिला शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के अत्यंत नजदीक आ चुका है, अब जिले में सेकंड डोज के मात्र 40 हजार व्यक्ति बचे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 16 दिसंबर को महाअभियान आयोजित किया जाएगा। महा अभियान में सेकंड डोज के शेष 40 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर में दोनों डोज शत प्रतिशत लगाए जाकर शहर शत-प्रतिशत वैक्सीनेट किया जा चुका है।

समिति की देखरेख में कुत्तों की नसबंदी

रतलाम, नप्र। शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी होना है। नसबंदी से पहले समिति बनाई जाने के लिए नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक ली। डॉ. नवीश नेहरा ने बैठक में कुत्तों की नसबंदी कैसे की जाएगी... इसके बारे में विस्तार से बताया, साथ ही बताया कि नसबंदी के लिए शहर में कुत्तों को किस प्रकार से पकड़ा जाकर नसबंदी की जाएगी और कितने दिन तक उन्हें रखा जाएगा, उन्हें क्या खाना खिलाया जाएगा। बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी के अलावा अदीति दवेसर, बबीता नागर, आशा गुप्ता अर्पित उपाध्याय आदि थे।

कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

प्रतापण न्यूज़ • रतलाम

जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोविड पाजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़ भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों, खांसते, छींकते समय नाक व मुख को ढंकने संबंधी अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा।

कोविड के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः आरटीपीसीआर, आरएटी पद्धति से जांच की जाएगी। पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिले में हाट स्पाट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण किए जाए।

पाजीटिव प्रकरणों मे हाई रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए।

कोविड-19 प्रकरणों के लिए उपचार व्यवस्थाएं

जिले में कोविड प्रकरणों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन एवं समुचित व्यवस्था की जाए। पर्याप्त आक्सीजन सिलेण्डर तथा क्रियाशील आक्सीजन कंसन्ट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहे। समस्त शासकीय डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आवश्यक दवाईयों, सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य की जाए। बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (औषधि, सामग्री एवं उपकरण) सुनिश्चित किया जाए। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

कोविड-19 पाजीटिव प्रकरणों का प्रबंधन

कोरोना वैरिएंट की संभावना एवं तृतीय संभावित लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षणयुक्त कोविड पाजीटिव प्रकरणों के लक्षण के आधार पर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, कापिक आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पाजीटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालययुक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो, को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आंकलन उपरांत होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा वीडियो कालिंग के माध्यम से की जाए। भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के आधार पर चिन्हांकित यूरोप, युनाईटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजिल, बोत्सवाना, न्यूजीलेण्ड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इसराइल, चीन, मारीशस से आने वाले समस्त अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रियों को महत्वपूर्ण अनिवार्यतः 7 दिवस हेतु होम क्वारंटाईन किया जाए एवं 8 वें दिवस पर पुनः आरटीपीसीआर द्वारा जांच की जाए। पाजीटिव पाए गए अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों के सेम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाएगा।

वैरिएंट की प्रभावी निगरानी हेतु नियमित तौर पर भी सेम्पल संग्रहित कर निर्धारित प्रयोगशालाओं में प्रेषित की जाए। यदि व्यक्ति ओमिक्रोन वैरिएंट पाजीटिव पाया जाता है तो ऐसे रोगी की कड़ी संस्थागत आइसोलेशन में रखने का उचित प्रबंध किया जाए एवं मानक ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन तब तक सुनिश्चित किया जाए, जब तक रोगी की आरटीपीसीआर जांच निगेटिव नहीं हो जाती। यदि किसी व्यक्ति में ओमिक्रोन वैरिएंट निगेटिव पाया जाता है तो चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है।

24 दिसम्बर से 3 जनवरी तक आयोजित होगा त्रिवेणी मेला

रतलाम। त्रिवेणी के पावन तट पर ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेला आयोजित किए जाने के संबंध में विधायक चेतन्य काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम के मध्य हुई चर्चा व सहमति अनुसार 24 दिसम्बर से 3 जनवरी 2022 तक मेला कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को दृष्टि गत रखते हुए मेले में सीमित दुकानें लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो।

कोविड-19 से मृत्यु पर अनुग्रह सहायता राशि के लिए पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है

रतलाम। कोविड-19 से मृत्यु पर उनके वारिसान द्वारा अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार के लिए पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

अनुग्रह राशि के आवेदनों दावों की प्राप्ति, निराकरण एवं राशि वितरण की डाटा एंट्री हेतु वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसका वेब RL https://services.mp.gov.in है। संबंधित आवेदक या वारिसान द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि 50 हजार पर क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है।

कन्सलटेंट प्रशमन प्रकरण तीन दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें

प्रसारण न्यूज • रतलाम

• निगम आयुक्त झारिया ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
• लापरवाही बरतने पर होगा लायसेंस निरस्त

नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किये जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अन्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लघंन पाये जाने पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देष दिये। आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किये जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किये जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण शेष नहीं होगा उन्हे प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहममद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरेशी के अलावा उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

5/5/20

कन्सलटेंट प्रशमन प्रकरण तीन दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें- निगम आयुक्त झारिया

लापरवाही बरतने पर होगा लायसेंस निरस्त

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

नगर में अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नगर में अनुमति के विपरीतए स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किये जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अन्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लघंन पाये जाने पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

आयोजित समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किये जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किये जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जायेगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण शेष नहीं होगा उन्हे प्रमाण.पत्र भी दिया जायेगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यासए मोहममद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरेशी के अलावा उपयंत्री राजेन्द्र मिश्र, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

त्रिवेणी मेला की स्वीकृति कराने पर विधायक का सम्मान

रतलाम। कोविड-19 की वजह से बंद हुए त्रिवेणी मेले की स्वीकृति कराने पर सनातन धर्म महासभा ने विधायक चेतन्य काश्यप का सम्मान कर आभार प्रकट किया। इस मौके पर काश्यप को त्रिवेणी मेला ग्राउंड को संरक्षित करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया।

काश्यप ने इस मौके पर कहा कि धर्म के प्रति श्रद्धा व आस्था बढ़ाने के लिए मेलों का आयोजन सालों से परंपरागत होता आ रहा है। मेले के माध्यम से हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागती है। इसलिए मेले का आयोजन प्रासंगिक है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन भीड़ भरे आयोजन करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उज्जैन में भी मेले को सीमित स्वरूप में आयोजित किया गया है। इसलिए रतलाम में कोविड नियमों का पालन करते हुए मेले के आयोजन की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि मेले के आयोजन से इससे जुड़े व्यवसायियों को रोजगार मिलेगा।

विधायक ने कहा कि समाज के विकास के लिए प्रत्येक आयामों की जरूरत होती है। सिर्फ भौतिक विकास व औद्योगिकीकरण ही विकास के प्रतीक नहीं होते। खेल, धर्म, संस्कृति आदि से जुड़े आयाम भी समाज में होते रहने चाहिए। कार्यक्रम को सनातन धर्म महासभा के संयोजक अशोक मिंडिया ने भी संबोधित किया। आरंभ में महासभा के राजू केलवा ने विचार रखे। इस अवसर पर काश्यप का शाल, श्रीफल व साफे से सम्मान किया गया। मनोहर पोरवाल, मनोज शर्मा, सतीश भारतीय, बालमुकुंद चावड़ा, मोहनलाल धवाई, कमल भाटी, गोपाल शर्मा, जगदीश हरारिया, रमेशचंद्र पांचाल, भूपेंद्र सोनी, गोपाल सोनी, नंदकिशोर सोनी, टीकमसिंह सोलंकी, मनोहरसिंह चौहान, मुकेश खरे, राजू कल्याणे, अनिल सोनी, पुनीत गिरजे आदि मौजूद थे।

24 से होगा त्रिवेणी मेला

रतलाम। त्रिवेणी के पावन तट पर ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेला आयोजित किये जाने के संबंध में विधायक शहर चेतन्य काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम के मध्य हुई चर्चा व सहमति अनुसार 24 दिसम्बर से 3 जनवरी तक मेला कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया जायेगा। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मेले में सीमित दुकानें लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी ताकि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो।

त्रिवेणी मेले में रखेंगे गाइड लाइन का ध्यान

रतलाम, नप्र। कोरोना गाइड लाइन की वजह से त्रिवेणी मेला पिछली बार भी नहीं लग पाया था। सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति की कोशिशों के चलते त्रिवेणी मेले को झंडी मिल गई है।

सनातन धर्मसभा एवं महारुद्र यज्ञ समिति के प्रतिनिधिमंडल ने त्रिवेणी मेले को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मुलाकात की। काश्यप को त्रिवेणी तट पर हर साल होने वाले महारुद्र यज्ञ के साथ मेले के आयोजन पर चर्चा की। विधायक को आसपास लगने वाले मेले का हवाला देकर रतलाम में भी इस बार त्रिवेणी मेले आयोजन की ओर ध्यान खींचा। विधायक ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से चर्चा कर बताया कि कहा कि त्रिवेणी तट पर परंपरागत रूप से मेले का आयोजन किया जाएगा। विधायक काश्यप ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि कलेक्टर ने कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए परंपरागत रूप से मेले के आयोजन की मंजूरी दी है। कलेक्टर से रजा मिलने के बाद विधायक काश्यप ने निगमायुक्त सोमनाथ झारिया से भी चर्चा की और उन्हें मेला आयोजन के लिए की जाने वाली तैयारियां को पूरी करने को कहा।

त्रिवेणी मेला 24 से

रतलाम ● त्रिवेणी के पावन तट पर ग्यारह दिवसीय त्रिवेणी मेला आयोजित किए जाने के संबंध में विधायक चेतन्य काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के मध्य हुई चर्चा व सहमति अनुसार 24 दिसम्बर से 3 जनवरी तक मेला कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मेले में सीमित दुकानें लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी ताकि किसी प्रकार से कोरोना संक्रमण का फैलाव ना हो।

कन्सलटेंट प्रशमन प्रकरण तीन दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करें-झारिया

लापरवाही बरतने पर होगा लायसेंस निरस्त

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देश अनुसार प्रशमन किए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नगर निगम इंजीनियर व नगर निगम से लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट की समीक्षा बैठक ली।

श्री झारिया द्वारा नगर में अनुमति के विपरीत, स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्मित भवनों हेतु शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार प्रशमन किए जाने संबंधी समीक्षा में प्रगति अन्यत कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इंजीनियरों की वेतन वृद्धि रोकने व कन्सलटेंट को उनके द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई भवन अनुज्ञाओं के आधार पर निर्मित भवनों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उल्लंघन पाए जाने पर प्रशमन के प्रकरण तैयार कर आगामी तीन दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री झारिया ने निर्देशित किया कि कन्सलटेंट द्वारा लापरवाही किए जाने की स्थिति में लायसेंस निरस्त किए जाने के साथ ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा साथ ही ऐसे कन्सलटेंट जिनका एक भी प्रकरण शेष नहीं होगा उन्हें प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

बैठक में कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरैशी के अलावा उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल सहित लायसेंस प्राप्त कन्सलटेंट उपस्थित थे।

स्वदेश

खुले में गंदगी करने पर 22 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 13 दिसम्बर को 22 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पाटीदार धर्मशाला लक्ष्मी नगर पर 3000, गुरूकृपा पान सेंटर, सुरेश व्यास गायत्री टॉकिज पर 250-250, प्रकाश प्रजापति अशोक नगर, सोनू जैन, नियाज मोहम्मद, पंकज, संजू पोरवाल, अर्जुन घांस बाजार पर 100-100, राकेश, शंभू, दर्शन, कृष्ण कुमार, सोहन, संदीप लक्ष्मी नगर, बसंतीलाल, हीरालाल, राजू यादव अशोक नगर, मगनलाल मीणा, छगन यादव घांस बाजार, भानूप्रताप सिंह, कमलेष लकड़पीठा पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले

दी गई समझाइश

34 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई। राज

दिलबहार चौराहे, दो बत्ती से शहर सराय तक सेंटर लाइटिंग होगी

निगम आयुक्त झारिया द्वारा स्थलों का निरीक्षण

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

विधायक रतलाम शहर चेतन्य काश्यप व कलेक्टर तथा निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए षहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर व हजीरा पुलिया से ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क निर्माण हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम इंजीनियरों के साथ स्थलों का निरीक्षण किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए शहर सराय चौराहे तक सेन्टर लाईटिंग के साथ रोड डिवाईडर निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण कर सड़क के सेन्टर हेतु नपती करवाई। इसी तरह नगर निगम स्वामित्व की हजीरा पुलिया से ऑफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क के निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने उक्त कार्यों को करवाये जाने हेतु निगम इंजीनियरों को एस्टीमेंट शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री अनवर कुरेशी, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे।

80 अधिकारी/कर्मचारी होंगे वायरलैस वॉकी-टॉकी से लैस

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

नगर निगम के कार्यों को ओर अधिक गति दिये जाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एस टेली कम्पनी के क्रय किये गये 80 वॉयर लैस वॉकी-टॉकी को चलाने का प्रशिक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को दिया गया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि नगर निगम द्वारा 80 वॉयरलैस वॉकी-टॉकी क्रय किये गये जिससे अधिकारी/कर्मचारियों से एक ही समय में बात की जा सकती है। क्रय किये गये वॉयरलैस वॉकी-टॉकी पुरे भारत में संचालित हो सकेगा व कहीं से भी बात कर सकेगा जिससे निगम के कार्यों को ओर अधिक गति मिलेगी।

खुले में गंदगी करने पर 20 व्यक्तियों पर जुर्माना

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 14 दिसम्बर को 20 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर प्रकाश, नियाज खान, पंकज मीणा, अर्जुन यादव घांस बाजार, मंगलेश, कालू सिंह बाजना बस स्टैण्ड, गोर्वधन, शातिलाल, सोहनलाल पर 100-100, मुकेश, छेदीसिंह, अरूण, धन्नालाल, अनिल राठौड़, रमेश गौशाला रोड, राजू, रामलाल, प्रदीप, संतोष बाजना बस स्टैण्ड, संदीप सागोद रोड पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 37 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

55 दिन के बाद एक पाजिटिव मिला

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, प्रशासन व स्वास्थ्य अमला अलर्ट

रतलाम। ओमिक्रोन के खतरे से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में प्रशासन व स्वास्थ्य अमला अलर्ट है। रैंडम सैंपलिंग में ताल निवासी एक 22 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। 55 दिन बाद जिले में कोरोना पाजिटिव मरीज मिला है। युवक लक्षणविहीन है और उसका स्वास्थ्य अभी सामान्य है। सैंपल को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर सैंपलिंग की जा रही है। जिले में कोरोना काल में कुल 17508 पाजिटिव केस मिले हैं, इसमें से 17196 स्वस्थ हो गए जबकि 311 की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या एक है।

मालूम हो कि इससे पहले जिले में 20 अक्टूबर को एक पाजिटिव मिला था। कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के आने के बाद अब बाहर से आने वालों पर नजर रखने के साथ ही रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। मंगलवार को डोसीगांव में ताल से आने वाली बस में बैठे एक युवक का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है।

इधर तीसरी लहर रोकने के प्रयासों में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसमें कोविड पाजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण के लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट के साथ टीकाकरण में गति, भीड़भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी, खांसते, छींकते समय नाक व मुख को ढंकने संबंधी अनुशासन का पालन अनिवार्य किया गया है।

कोविड लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः आरटीपीसीआर, आरएटी पद्धति से जांच कर पाजिटिव प्रकरणों में हाई रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाएगा।

लक्षण वाले पाजिटिव मरीज को भर्ती करेंगे

पाजीटिव प्रकरणों के लक्षण के आधार पर मरीज को अब अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, कापिक आइसीयू वार्ड अथवा कोविड हाईडिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाएगा। केवल लक्षण रहित पाजिटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालययुक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो, को चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।

इन देशों से आने वालों पर विशेष नजर : भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के आधार पर चि-ह्नित यूरोप, युनाईटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजिल, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इसराइल, चीन, मारीशस से आने वाले समस्त अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रियों को महत्वपूर्ण अनिवार्यतः सात दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आठवें दिन पुनः आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। यदि व्यक्ति ओमिक्रोन वैरिएंट पाजीटिव पाया जाता है तो ऐसे मरीज को संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाएगा। ओमिक्रोन वैरिएंट निगेटिव होने पर चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है।

आटोरिक्शा में टीका लगाती हुई स्वास्थ्यकर्मी। ●नईदुनिया

कोविड अनुग्रह राशि के लिए आनलाइन आवेदन

रतलाम। कोविड-19 से मृत्यु पर उनके वारिसान द्वारा अनुग्रह सहायता राशि 50 हजार के लिए पोर्टल पर भी आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अनुग्रह राशि के आवेदनों दावों की प्राप्ति, निराकरण एवं राशि वितरण की डाटा एंट्री के लिए वेब **URL httpsa// services.mp. gov.in** है। संबंधित आवेदक या वारिसान द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

मास्क नहीं लगाने वाले 37 लोगों से जुर्माना वसूला

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर प्रकाश, नियाज खान, पंकज मीणा, अर्जुन यादव घास बाजार, मंगलेश, कालूसिंह बाजना बस स्टैंड, गोर्वधन, शांतिलाल, सोहनलाल से 100-100, मुकेश, छेदीसिंह, अरुण, धन्नालाल, अनिल राठौड़, रमेश गोशाला रोड, राजू, रामलाल, प्रदीप, संतोष बाजना बस स्टैंड, संदीप सागोद रोड से 50-50 रुपये का स्पाट फाइन कर भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी गई। इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वाले 37 व्यक्तियों से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल द्वारा सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी गई।

अब जिले की बारी, सिर्फ 43 हजार डोज लगना बाकी

रतलाम। शहर में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद अब जिला भी शतप्रतिशत टीकाककरण की दहलीज पर है। जिले में अब सिर्फ 43930 लोगों को दूसरी डोज लगाई जाना बाकी है। इसके लिए 16 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान आयोजित किया जाएगा।

मालूम हो कि 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा रतलाम शहर को शतप्रतिशत वैक्सीनेट घोषित किया जा चुका है। अब जिले के लिए महाअभियान में सेकंड डोज लगाने से शेष व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। मालूम हो कि जिले में कुल 1100912 लोगों को दोनों डोज लगाई जाना है। शासन ने 31 दिसंबर तक प्रदेश में सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। जिले में मंगलवार तक 1052577 लोगों को पहली व 997489 को दूसरी डोज लगाई गई है। कोविन पोर्टल के अनुसार जिले में 43930 लोगों की दूसरी डोज ड्यू है।

धर्मगुरुओं ने की अपील

फादर सेमसन दास ने नागरिकों से शासन-प्रशासन द्वारा जारी किए गए कोविड गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है। मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। शारीरिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करें। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शहर स्वस्थ रहेगा।

-चीफ काजी सैयद आसिफ अली ने बताया कि खुदा ने इंसान को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है और इसलिए इंसान की जान बेशकीमती जान है। इस जान को बचाने के लिए हर तरह के जतन हम लोग करते रहते हैं और उसी में आज कोरोना से बचाव के लिए हमें जतन करना है। मास्क को बराबर लगाए रखें और और शारीरिक दूरी का पालन हरगिज नहीं छोड़ें। यही कोरोना से बचाओ है और वैक्सीन अवश्य लगवाएं।

-न्यू रोड स्थित सिख गुरुद्वारा के ज्ञानी मानसिंह ने महामारी के दौर में सभी से सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। उनका कहना है जान है तो जहान है। सभी की सबसे पहली प्राथमिकता उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से बचाव के लिए सभी को जागरूक होना होगा, तभी इसे फैलने से रोका जा सकेगा।

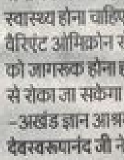

-अखंड ज्ञान आश्रम के स्वामी देवस्वरूपानंद जी ने आमजन से कोरोना को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि महामारी पर सजगता और सतर्कता से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए सबको जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है। स्वयं भी बचें और दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

शहर सराय तक सेंटर लाइटिंग होगी

हजीरा पुलिया से आफिसर कॉलोनी मोड़ तक बनेगी नई सड़क

स्टेशन रोड क्षेत्र में सड़क की नपती करवाते हुए निगमायुक्त । • नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में आवागमन बेहतर करने के लिए प्रमुख मार्गों को फोरलेन करने के बाद अब सेंटर लाइटिंग के साथ डिवाइडर भी बनाए जाएंगे। शहर विधायक चेतन्य काश्यप व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार महाराजा सज्जनसिंह चौराहे से दिलबहार चौराहे तक व दो बत्ती से न्यू रोड होते हुए शहर सराय चौराहे तक रोड डिवाइडर बनाने के साथ सेंटर लाइटिंग की जाएगी। इसके साथ ही हजीरा पुलिया से आफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क निर्माण होगा।

मंगलवार को निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम इंजीनियरों के साथ स्थलों का निरीक्षण कर सेंटर लाइटिंग, रोड डिवाइडर निर्माण के लिए सड़क के सेंटर की नपती करवाई। इसी तरह नगर निगम स्वामित्व की हजीरा पुलिया से आफिसर कालोनी मोड़ तक सड़क निर्माण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। आयुक्त ने निगम इंजीनियरों को एस्टीमेंट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री अनवर कुरैशी, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित रहे।

शादियों में आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद अब जनसुनवाई में पहुंचने वाले लोगों का भी टेस्ट

प्रातःकाल न्यूज • रतलाम

ओमीक्रोन वेरिएंट को लेकर बरती जा रही सतर्कता के चलते जिले में स्वास्थ विभाग की टीम आज अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिले के प्रमुख एंट्री एग्जिट मार्गों पर रेंडम आरटीपीसीआर टेस्टिंग के साथ ही कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे लोगों के भी आरटीपीसीआर टेस्ट कर रही हैं।

कलेक्ट्रेट में पहुंचे 50 से अधिक आवेदको के सैंपल जांच के लिए लिए गए है। गौरतलब है कि टीएल बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसमें शादी समारोह में भी आरटी पीसीआर टेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आप स्वास्थ विभाग की टीमें अलग-अलग स्थानों पर रैंडम टेस्टिंग कर रही है।

दरअसल देश में ओमीक्रोन वैरीअंट की एंट्री और प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने पर प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा स्वास्थ विभाग को टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने वाले आगंतुकों के सैंपल ले जा रहे हैं।

आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव के नामनिर्देशन के लिए पहुंचने वाले लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को ही जनसुनवाई में करीब 50 से अधिक आवेदक अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिनका रेंडम आर टी पी सी आर टेस्ट करवाया गया है।

बहरहाल रतलाम जिले में वर्तमान में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन वर्तमान में जारी शादियों और अन्य कार्यक्रमों में प्रदेश के बाहर से भी लोगों का आगमन हो रहा है, जिसके चलते कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश स्वास्थ विभाग को दिए गए हैं।

खुले में गंदगी करने पर 22 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है, उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 13 दिसम्बर को 22 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पाटीदार धर्मशाला लक्ष्मी नगर पर 3000, गुरूकृपा पान सेंटर, सुरेश व्यास गायत्री टॉकिज पर 250-250, प्रकाश प्रजापति अशोक नगर, सोनू जैन, नियाज मोहम्मद, पंकज, संजू पोरवाल, अर्जुन घांस बाजार पर 100-100, राकेश, शंभू, दर्शन, कृष्ण कुमार, सोहन, संदीप लक्ष्मी नगर, बसंतीलाल, हीरालाल, राजू यादव अशोक नगर, मगनलाल मीणा, छगन यादव घांस बाजार, भानुप्रताप सिंह, कमलेष लक्कड़पीठा पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100-100 रूपए का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईश दी गई।

अब एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ की जानकारी

रतलाम | महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। प्रधान महालेखाकार गीताली तारे ने बताया राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।

अनुग्रह सहायता के लिए पोर्टल पर करें आवेदन

रतलाम | कोविड-19 से मृत्यु पर उनके परिजन अनुग्रह सहायता राशि (50 हजार रुपए) के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुग्रह राशि के आवेदनों दावों की प्राप्ति, निराकरण व राशि वितरण की डाटा एंट्री के लिए वेब पोर्टल बनाया है। https://services.mp.gov.in पर जा सकते हैं। अनुग्रह राशि के लिए वेबसाइट पर आवेदन देना होगा।

डिवाइडर : सज्जनसिंह चौराहा से दिलबहार चौराहे व दो बत्ती से शहर सराय तक बनेगा

रतलाम | नगर निगम पुरानी सड़कों का भी सौंदर्यीकरण करेगा। महाराजा सज्जनसिंह से दिलबहार चौराहे तक और दो बत्ती चौराहा से न्यू रोड होकर शहर सराय तक की फोरलेन सड़क पर अब डिवाइडर बनेगा।

दूसरे फोरलेन की तरह सेंट्रल लाइटिंग भी की जाएगी। इसका सुझाव विधायक चेतन्य काश्यप ने दिया था। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर मंगलवार को आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इंजीनियरों के साथ डिवाइडर बनाने के लिए सड़कों का मुआयना किया। इस दौरान सड़कों की चौड़ाई भी नापी। उधर हजीरा पुलिया से ऑफिसर कॉलोनी मोड तक भी नई सड़क बनेगी। इसके निगम ने एस्टीमेट बनाना शुरू कर दिया है। कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री अनवर कुरैशी, उपयंत्री मनीष तिवारी आदि साथ रहे।

अब एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ की जानकारी

रतलाम। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रधान महालेखाकार गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनके मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।

श्वान बधियाकरण हेतु नियमानुसार होगा समिति का गठन

रतलाम ● शहर में आवारा श्वानों के बधियाकरण की शुरुआत से पहले नियमानुसार समिति का गठन किए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वयं सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों व निगम अधिकारियों की बैठक ली।

श्री झारिया सहित निगम अधिकारी, स्वयं सेवी संस्था सदस्य, जीवदया समिति सदस्यों को डॉ. नवीश नेहरा ने श्वानों के बधियाकरण की कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया कि श्वानों को किस प्रकार से पकड़ा जाएगा, बधियाकरण किस प्रकार से किया जाएगा, बधियाकरण पश्चात उन्हें कितने दिन रखा जाएगा, उन्हें क्या खाना खिलाया जाएगा जैसी विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

बैठक में तय किया गया कि श्वानों के बधियाकरण के पूर्व नियमानुसार समिति का गठन किया जिसमें निगमायुक्त, वेटनरी डॉक्टर, 2-एनिमल एक्टीविस्ट, सोशल वर्कर आदि को सम्मिलित किया जाएगा।

एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ संबंधी जानकारी

रतलाम। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। प्रधान महालेखाकार गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है।

कॉलोनियों में पानी नहीं... रुकेगी वेतनवृद्धि

रतलाम, नप्र। जलप्रदाय विभाग के कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री, केमिस्ट के अलावा पम्प-कुल की एक-एक वेतनवृद्धि रोकी जाएगी। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के रतलाम आगमन पर नगर निगम को हस्तांतरित की गई कॉलोनियों में पानी नहीं मिलने की शिकायत की गई। आयुक्त का मानना है कि अगर जलप्रदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ठीक से काम कर कॉलोनियों में पानी प्रदाय करने की कार्रवाई कर दी जाती तो मुख्यमंत्री को नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता। काम में जवाबदारों की घोर लापरवाही पाए जाने पर निगमायुक्त ने एक-एक वेतनवृद्धि रोकी है।

पेयजल सप्लाय प्रारंभ नहीं करने पर जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1-1 वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम। नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन देने की स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोके जाने हेतु 01 दिसम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने पर संबंधितों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया किन्तु उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के 11 दिसम्बर को रतलाम प्रवास के दौरान क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने पर 12 दिसम्बर से पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने की कार्यवाही की गई जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाता तो मुख्यमंत्री की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता। उक्त घोर लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत मोहम्मद हनीफ शेख प्रभारी कार्यपालन यंत्री, भैय्यालाल चौधरी, सुहास पंडित उपयंत्री, नीरज यादव केमिस्ट व मोहनलाल ओसारी पम्प कुल की एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी।

अलर्टः 45 दिन बाद जिले में फिर दी कोरोना ने दस्तक

कान्टेक्ट ट्रेसिंग में जुटा अमला, समारोह और बस में यात्रा के दौरान संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील

रतलाम। तीसरी लहर की आशंका के बीच रतलाम में 45 दिन बाद कोरोना का पहला पाजिटिव मामला सामने आया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर विवाह समारोह में रैंडम

▶ विवाह समारोह में रैंडम चैकिंग में लिया गया था सैंपल

चेकिंग के दौरान लिए गए सैंपल में एक युवक के पाजिटिव आने की जानकारी सामने आई है। जिला कोविड नियंत्रण अधिकारी डॉ. गौरव बोरीवाल के अनुसार कोरोना नियंत्रण के दृष्टिगत कलेक्टर के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों और विवाह समारोह स्थल पर रैंडम सैंपल लेकर जांच की जा रही है। रविवार को डोषी गांव फंटे पर रैंडम चेकिंग के दौरान विवाह समारोह में आए ताल निवासी 22 वर्षीय युवक का सैंपल लिया गया था। जांच के दौरान उक्त युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक ताल से बस द्वारा विवाह समारोह स्थल तक पहुंचा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल कॉलेज की टीम ने युवक से संपर्क किया तो वह बस द्वारा पुनः ताल स्थित अपने निवास पर पहुंच चुका था। डॉ. बोरीवाल के अनुसार युवक लक्षण रहित है। उसे मेडिकल कालेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि युवक की ट्रैवल हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। यदि ट्रैवल हिस्ट्री निकली और आवश्यक लगा तो सैंपल जिनोम सीक्वेंनिंग के लिए भी भेजा जाएगा।

ढेड़ माह बाद पहला मामला

जिले में 45 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आया है। कलेक्टर के निर्देश पर पहले से ही कोरोना नियंत्रण के लिए सर्तक चल रहा प्रशासनिक और चिकित्सीय अमला और ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है।

बस और विवाह स्थल पर संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील

युवक ने विवाह समारोह स्थल से आने और जाने के लिए बस का उपयोग किया था। ऐसे में प्रशासन की टीम अब बस का पता लगाकर उसके संपर्क में आए लोगों का सैंपल लेने का प्रयास कर रही है। वहीं युवक जिस विवाह समारोह में शामिल हुआ था उसमें शामिल लोगों से भी सैंपल करवाकर जांच कराने की अपील की गई है।

लक्षणयुक्त कोविड पाजीटिव को अस्पताल में होना होगा भर्ती

जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार कोविड पाजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड भाड को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों, खांसते, छींकते समय नाक व मुख को ढंकने संबंधी अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। कोविड के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः आरटीपीसीआर, आरएटी पद्धति से जांच की जाएगी। पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिले में हाट स्पाट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण किए जाए। पाजीटिव प्रकरणों मे हाई रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए।

कोविड-19 पाजीटिव प्रकरणों का प्रबंधन

कोरोना वैरिएंट की संभावना एवं तृतीय संभावित लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षणयुक्त कोविड पाजीटिव प्रकरणों के लक्षण के आधार पर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, कापिक आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पाजीटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालययुक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो, को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आंकलन उपरांत होम आइसोलेशन की अनुमंति दी जा सकती है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा वीडियो कालिंग के माध्यम से की जाए।

नगर निगम जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1 वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम। नगर निगम ने अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही पर कार्रवाई की हैं। मुख्यमंत्री तक पहुंचे मामले के बाद यह कार्रवाई की गई। नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन देने की स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोके जाने हेतु रोकी। इस संबंध में 1 दिसम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इस पर संबंधितों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। किन्तु उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने व इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के 11 दिसम्बर को रतलाम प्रवास के दौरान क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा शिकायत किये जाने पर 12 दिसम्बर से पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने की कार्यवाही की गई। जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाता तो की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता। उक्त लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत मो. हनीफ शेख प्रभारी कार्यपालन यंत्री, भैय्यालाल चौधरी, सुहास पंडित उपयंत्री, नीरज यादव केमिस्ट व मोहनलाल ओसारी पम्प कुल की एक-एक वेतनवृद्धि असयंचयी प्रभाव से रोकी।

खुले में गंदगी करने का 22 पर जुर्माना

खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 13 दिसम्बर को 22 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर पाटीदार धर्मशाला लक्ष्मी नगर पर 3000, गुरूकृपा पान सेंटर, सुरेश व्यास गायत्री टॉकिज पर 250-250, प्रकाश प्रजापति अशोक नगर, सोनू जैन, नियाज मोहम्मद, पंकज, संजू पोरवाल, अर्जुन घांस बाजार पर 100-100, राकेष, शंभू, दर्शन, कृष्ण कुमार, सोहन, संदीप लक्ष्मी नगर, बसंतीलाल, हीरालाल, राजू यादव अशोक नगर, मगनलाल मीणा, छगन यादव घांस बाजार, भानूप्रताप सिंह, कमलेश लक्कड़पीठा पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 34 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने को कहा।

बल्क कनेक्शन स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय प्रारंभ नहीं करने पर जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की 1-1 वेतन वृद्धि रोकी

रतलाम। नगर निगम को हस्तान्तरित कॉलोनियों में बल्क कनेक्शन देने की स्वीकृति के बाद भी पेयजल सप्लाय नहीं किए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक-एक वेतनवृद्धि रोके जाने हेतु 1 दिसम्बर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने पर संबंधितों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, किन्तु उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने व इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के 11 दिसम्बर को रतलाम प्रवास के दौरान क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा शिकायत किए जाने पर 12 दिसम्बर से पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने की कार्यवाही की गई। जलप्रदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यह कार्य पूर्व में ही कर लिया जाता तो मुख्यमंत्री की नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता।

उक्त घोर लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम- 1966 के तहत मोहम्मद हनीफ शेख प्रभारी कार्यपालन यंत्री, भैय्यालाल चौधरी, सुहास पंडित उपयंत्री, नीरज यादव केमिस्ट व मोहनलाल ओसारी पम्प कुल की एक-एक वेतनवृद्धि असयंचयी प्रभाव से रोकी।

जिला शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन के नजदीक

रतलाम ● जिला शत प्रतिशत वैक्सीनेशन के अत्यंत नजदीक आ चुका है, अब जिले में सेकंड डोज के मात्र 40 हजार व्यक्ति बचे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि 16 दिसंबर को महाअभियान आयोजित किया जाएगा। महाअभियान में सेकंड डोज के शेष 40 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर में दोनों डोज शत प्रतिशत लगाए जाकर शहर शत-प्रतिशत वैक्सीनेट किया जा चुका है।

कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

संभावित लक्षण वाले रोगियों की आरटीपीसीआर, आरएटी जांच की जाएगी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम हेतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट के टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य होगा। भीड़भाड़ को नियंत्रित करते हुए मॉस्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों, खांसते, छींकते समय नाक व मुख को ढंकने संबंधी अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। कोविड के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः आरटीपीसीआर, आरएटी पद्धति से जांच की जाएगी। पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिले में हॉट स्पाट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण किए जाए। पॉजिटिव प्रकरणों में हाई रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए।

वैरिएंट की प्रभावी निगरानी हेतु नियमित तौर पर भी सैम्पल संग्रहित कर निर्धारित प्रयोगशालाओं में प्रेषित की जाए। यदि व्यक्ति ओमिक्रॉन वैरिएंट पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे रोगी की कड़ी संस्थागत आइसोलेशन में रखने का उचित प्रबंध किया जाए एवं मानक ट्रीटमेंट प्रोटोकाल का पालन तब तक सुनिश्चित किया जाए, जब तक रोगी की आरटीपीसीआर जांच निगेटिव नहीं हो जाती। यदि किसी व्यक्ति में ओमिक्रॉन वैरिएंट निगेटिव पाया जाता है तो चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है।

कोविड पॉजिटिव प्रकरणों का प्रबंधन

कोरोना वैरिएंट की संभावना एवं तृतीय संभावित लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार अब समस्त लक्षणयुक्त कोविड पॉजिटिव प्रकरणों के लक्षण के आधार पर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, कापिक आईसीयू वार्ड अथवा कोविड हाई डिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाए। केवल लक्षण रहित पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालययुक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो, को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आकलन उपरांत होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से की जाए। भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के आधार पर चिन्हांकित यूरोप, युनाईटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग, इसराइल, चीन, मारीशस से आने वाले समस्त अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्रियों को महत्वपूर्ण अनिवार्यतः 7 दिवस हेतु होम क्वारेंटाईन किया जाए एवं 8 वें दिवस पर पुनः आरटीपीसीआर द्वारा जांच की जाए। पॉजिटिव पाए गए अन्तरराष्ट्रीय यात्रियों के सैम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाएगा।

कोविड प्रकरणों के लिए उपचार व्यवस्थाएं

जिले में कोविड प्रकरणों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन एवं समुचित व्यवस्था की जाए। पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा क्रियाशील ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहे। समस्त शासकीय डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आवश्यक दवाइयों, सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य की जाए। बच्चों में कोविड के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (औषधि, सामग्री एवं उपकरण) सुनिश्चित किया जाए। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

स्वदेश

ताल से रतलाम के डोसीगांव में आए युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

रतलाम में 48 दिन बाद कोरोना की दस्तक, रेंडम जांच में आया पॉजिटिव

पत्रिका करंट इश्यू

ओमिक्रान वैरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल भेजा जाएगा दिल्ली

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। 55 दिन के बाद रतलाम में फिर से एक कोरोना का मरीज मिला है। करीब दो माह बाद रतलाम में कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने से प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई है। बड़ी बात यह है कि युवक यहां मांगलिक कार्यक्रम में आया था और उसकी रिपोर्ट जब आई तब तक वह वापस अपने घर पहुंच गया है। ऐसे में उसके संपर्क में जाने अनजाने में कई लोग आए है। ऐसे में अब इन सभी लोगों को तलाशकर उनसे संपर्क कर उनकी कोविड जांच करना बड़ी चुनौती है।

कोरोना जांच में जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, वह जिले के ताल क्षेत्र का निवासी है। वह सोमवार को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतलाम आया था। यहां उसे डोसीगांव में जाना था। इस दौरान शहर के प्रवेश द्वार पर रेंडम जांच के लिए मौजूद दल ने युवक को रोककर कोरोना जांच के लिए उसका सेंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। युवक की जांच के दौरान उससे लिए गए मोबाइल नंबर पर जब युवक से संपर्क किया गया तब पता चला कि वह फिर से ताल पहुंच गया है।

जिनोम जांच के लिए जाएगा सैंपल

कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति में कोरोना का कौन सा वैरिएंट है, इसका पता लगाने के लिए उसके सेंपल की जिनोम जांच होगी। इसके लिए सेंपल को जांच के लिए बुधवार को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से रिपोर्ट आने में लगभग एक सप्ताह का समय लगना बताया जा रहा है। दरअसल इस जांच में यह पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति में ओमिक्रॉन का वैरिएंट है या नहीं। फिलहाल उक्त व्यक्ति के पर स्वास्थ्य अमले नजर गड़ाए बैठा है और अब परिवार के सदस्यों के भी सेंपल लेकर जांच की जाएगी।

जांच की अपील

वही दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि व्यक्ति जिसके यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, वहां शामिल होने आए सभी लोग अपनी कोविड की जांच जरूर कराए। इसके अतिरिक्त बुधवार दोपहर करीब 3 बजे वह बस से ताल के लिए रवाना हुआ था, ऐसे में उक्त समय पर जो बस गई थी, उसमें सवार यात्रियों से भी स्वयं की कोविड जांच कराने की अपील की है।

अच्छे से कर रहा बात

स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिस व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह ए सिम्टोमेटिक है। वैसे तो उससे ज्यादा खतरा नही है लेकिन ऐहतियात के तौर पर उस पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल वह अच्छे से बात कर रहा है। परिवार के सभी लोगों की जांच होगी और कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनाया गया है।साथ ही जो भी लोग संपर्कमें आए है, उनके भी सेंपल एकत्र कर उनकी जांच की जाएगी।

अनुमति के बिना सड़क किनारे काम की तोड़फोड़

रतलाम, नप्र। शहर की मुख्य सड़कें सैलाना रोड, सागौद रोड, महू रोड, स्टेशनरोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण होने पर नगर निगम की ओर से उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर बनाए गया दल काम में जुटेगा और संबंधितों से 15 हजार प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूल करेगा। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नागरिकों अपील है कि वे अनुमति के बिना के निर्माण काम ना करें।

५।०१.१५

पॉजिटिव मिलते ही अमला हरकत में • पॉजिटिव के हाई रिस्क कान्टेक्ट की ट्रेसिंग करना होगी, हॉटस्पाट इलाकों से होंगे ज्यादा सैंपल

टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर काम करेगा अमला, मास्क नहीं तो जुर्माना

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में मंगलवार को एक पॉजिटिव मरीज आ गया। इसके साथ प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आ गया है। मंगलवार को कलेक्टर ने धारा-144 में जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पर अमला काम करेगा। वहीं, बच्चों के इलाज के लिए भी पुख्ता इंतजाम रखने को कहा है।

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार है। मंगलवार, को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश के मुताबिक अब पॉजिटिव प्रकरण ना बढ़े इसके लिए टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट पर काम होगा। टीकाकरण में गति और कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह : बच्चों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा

- पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे।
- जिले में हाट स्पॉट्स का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाए।
- पॉजिटिव केस में हाई रिस्क व ज्यादा से ज्यादा अन्य कांटेक्ट्स को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रेकिंग एवं टेस्टिंग कर निगरानी में रखा जाए।
- पॉजिटिव केस को लक्षण के आधार पर अस्पताल में कोविड आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू वार्ड या कोविड हाई डिपेंडेंस वार्ड में भर्ती किया जाए।
- केवल लक्षण रहित पॉजिटिव ऐसे लोग जिनके पास हवादार कमरा शौचालययुक्त कक्ष की व्यवस्था हो, उन्हें चिकित्सक सलाह के बाद होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है।
- होम आइसोलेशन वालों की वीडियो कालिंग के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
- हाई रिस्क कंट्री से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने पर यात्रियों को महत्वपूर्ण अनिवार्यतः 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। 8वें दिन दोबारा आरटीपीसीआर होगी।
- ओमिक्रॉन वैरिएंट पाजीटिव मिलता है तो संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाएगा, जब तक आरटीपीसीआर जांच निगेटिव नहीं हो।
- पर्याप्त आक्सीजन सिलेंडर व क्रियाशील आक्सीजन कंसट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहे।
- बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं (दवा, सामग्री एवं उपकरण) सुनिश्चित करें।

(आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।)

शहर के बाद जिले को 100% वैक्सीनेटेड करने की तैयारी, 40 हजार लोग बचे, माइक्रोप्लानिंग तैयार हो रही, 16 को महाअभियान

रतलाम | रतलाम शहर 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। इसी के साथ अब जिले को भी वैक्सीनेटेड करने की तैयारी है। इसके लिए सिर्फ 40 हजार लोगों को टीका लगना है। जिले को 100% वैक्सीनेटेड करने के लिए माइक्रोप्लानिंग बनना शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक 16 दिसंबर को महाअभियान होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा।

11 दिसंबर को शहर में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 100% वैक्सीनेटेड शहर की घोषणा की थी। इसी के साथ उन्होंने यह उम्मीद भी जताई थी कि रतलाम जिला जल्द ही 100% वैक्सीनेटेड जिला भी हो जाएगा। इसी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए अब काम शुरू हो गया है। अब जिले में सेकंड डोज के मात्र 40 हजार लोग ही बचे हुए है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया 16 दिसंबर को महा अभियान किया जाएगा। सभी को सेकंड डोज लगाने के लिए लक्ष्य तय कर लिया है। यह डोज किस तरह लगाए जाएंगे, इसके लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है।

सैलाना में भी कम वैक्सीनेशन : इधर, जिले में अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। दूसरे डोज का सबसे कम वैक्सीनेशन बाजना में हुआ है। यहां 71.68% लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। सैलाना में 81.15% लोगों को दूसरा टीका लगा है। इसके अलावा आलोट में 90.26%, जावरा में 93.80%, पिपलौदा में 88.62%, रतलाम ग्रामीण में 91.74% वैक्सीनेशन हो गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में दिए निर्देश

तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ अफसरों का करें तत्काल तबादला

पंचायत चुनाव में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें

भोपाल, (प्रसं)। पंचायत निर्वाचन 2021-22 में हर स्तर पर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। गत निर्वाचनों में हुए अपराधों की समीक्षा करें और आदर्श आचरण संहिता का पालन कड़ाई से किया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने यह निर्देश पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण जल्द करें। सीमा क्षेत्रों एवं अंतर्राज्यीय बार्डर चेकपोस्ट पर चेकिंग बढ़ा दें। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की जाए। सिंह ने कहा कि पेंडिंग वारंट एवं चालान की तामीली सुनिश्चित कर लें। सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों के जमा करने और संवीक्षा, चुनाव प्रचार, मतदान दिवस और मतगणना के दौरान पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था करें, जिससे सभी प्रक्रियाएं निर्बाध रूप से पूरी हो सकें।

हर स्तर पर हो कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन

राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन होना चाहिए। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मास्क जरूर लगाएं और दूसरे लोगों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने पंचायत निर्वाचन तैयारियों के संबंध में प्रेजेंटेशन दिया।

अब 18 को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण

प्रदेश मे त्रि- स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष पदो के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नही की जा सकी है। प्रदेश मे एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण टल गया है। अब यह प्रक्रिया 18 दिसंबर को पूरी होगी। इससे पहले 14 दिसंबर को आरक्षण तय करना सुनिश्चित किया था। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध मे सभी कलेक्टरो को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है और संशोधित सूचना को तय स्थानो पर चस्पा करने के निर्देश दिए है। आरक्षण की कार्यवाही राजधानी के वाल्मी परिसर मे होगी। यहां बता दे कि प्रदेश मे त्रि- स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम और दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है।

एसएमएस से जीपीएफ की जानकारी

रतलाम ● महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।

एसएमएस से मिलेगी कर्मचारियों को भविष्य निधि की जानकारी

भोपाल, (प्रसं)। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।

अब एस एम एस से मिलेगी जी पी एफ संबंधी जानकारी

रतलाम। महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है। इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवस्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी।

प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है। उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।